श्री कमाल अख्तर: सर, हम लोगों ने नोटिस दिया है, फर्स्ट डे नोटिस दिया है।

श्री उपसभापति: आप लोग प्रोसिड्योर जानते हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र: हम वह सब जानते हैं। आप एक मिनट सुन लें कि इसमें क्या है।

श्रीमती जया बच्चन: सर, मैंने पर्सनली सभापति महोदय से बात की थी, उन्होंने कहा कि यह सब-ज्युडिस है, आप इसे मत उठाइए। मगर आप बाकी लोगों को अलाऊ कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: हमने किसी को अलाऊ नहीं किया है। आप यह गलत कह रही हैं ... (**व्यवधान**)...

श्रीमती जया बच्चन: हाउस से बोल कर चले गए हैं, सर। सर, बिल्कुल सब-ज्युडिस मैटर है और कभी वे कह रहे हैं कि सिटिंग जज....सर, मैं तो इस बात को इसलिए उठा रही हूँ, क्योंकि हम आम जनता की बात इस सदन में रोज सुन रहे हैं। पुलिस, जो आम जनता की रखवाली करती है, उसकी कस्टडी में से चीज़ बाहर मीडिया के पास कैसे पहुँची...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप नोटिस दीजिए न ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती जया बच्चन: मैं यह जानना चाहती हूं और मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे बताएँ कि..... (**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप चेयरमैन से डिसकस करें, उसके बाद हम इसे अलाऊ करेंगे।

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, all the rules are meant for us!

श्री उपसभापति: देखिए, यह इश्यू आपने उठाया We will discuss it and we will allow you ...(*Interruptions*) आप पहले चेयरमैन से डिसकस कीजिए।

Demolition of Residential Units in Delhi by MCD

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): उपसभापति महोदय, मैं आपके ध्यान के लिए यह बताना चाहता हूँ कि मैंने 3-4 दिन पहले नोटिस दिया था। दिल्ली में इस समय बड़ी दहशत है। जो बुलड्रोजर चल रहे हैं, जिस तरह से गरीब आदमियों के मकान तोड़े जा रहे हैं, मैं उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आपका संरक्षण भी चाहता हूँ, ताकि सरकार इस ओर कोई कदम उठाए ...(**व्यवधान**)...देखिए, दिल्ली कोई एक दिन में तो बसी नहीं है ...(**व्यवधान**)...सब-ज्युडिस नहीं है, मेरी बात तो सुन लीजिए, भई। गरीब आदमियों के मकान टूट रहे हैं उससे सब-ज्युडिस का क्या सम्बन्ध है?...(**व्यवधान**)...सर, एक मिनट मेरी

बात तो सुन लें ...(**व्यवधान**)... मैंने नोटिस दिया है, सर, आपके पास मेरा प्रॉपर नोटिस है ...(**व्यवधान**)...वे जो गरीब आदमी हैं, उनका क्या कसूर है? कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है कि साहब, उन लोगों के, जिनके मकान आज से 50 साल पहले से बने हुए हैं, 40 साल पहले से बने हुए हैं ...(**व्यवधान**)... हरेक बात में आप बोलेंगे ...(**व्यवधान**)... इसकी जरुरत नहीं है ...(**व्यवधान**)... आप लोग चले जाएँ यहां से ...(**व्यवधान**)...यह क्या बात है? हर बात में आप ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: परमार साहब, आप अपनी जगह से बात नहीं कर रहे हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: मैं तो आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। आप हरेक बात में, मेरे बीच में बोल रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए।

श्री शाहिद सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश)**:** यह सब-ज्युडिस मैटर है...(**व्यवधान**)...

†ڈاکٹر شاہد صدیقی : یہ سب جیوڈس میٹر ہے۔ ... مداخلت ...

श्री उपसभापति: सिद्दिकी साहब...(**व्यवधान**)...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: जो बात मैं कह रहा हूँ, वह सब-ज्युडिस नहीं है।

श्री उपसभापति: चेयरमैन साहब ने जिस-जिस नोटिस को परमिशन दिया है, मैं उस नोटिस को अलाऊ कर रहा हूँ। उनके लिए उन्होंने परमिशन दिया है, मैं अलाऊ कर रहा हूँ ।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, जो गरीब आदमी 50 साल 60 साल पहले दिल्ली में आए हैं ..(**व्यवधान**)...आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उनका आशियाना बना है, उन्होंने छोटे-छोटे घर बनाए हैं। कोई मुफ्त में ही कहीं से घर मिलता नहीं है। उन्होंने अपने जेवर बेचे, कुछ प्रॉपर्टी बेची, कुछ और बेचा, तब जाकर अपने परिवार को लेकर बैठे हैं, लेकिन आज वहां बुल्डोजर चल रहा है। माननीय गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो कमेटी बनी है, वह कमेटी कोर्ट में कब जाएगी और कोर्ट से कहेगी कि आप उसे रोक दें ताकि उन के मकान न टूटें क्योंकि वे गरीब लोग परेशान है।, दहशत में हैं, डरे हुए हैं। महोदय, यह दिल्ली बड़े आदमियों की दिल्ली नहीं है, अमीर आदमियों की दिल्ली नहीं है, यह गरीब आदमियों की दिल्ली है। यहां 60-70 परसेंट वे लोग हैं जो बाहर से या आसपास के प्रदेशों से आकर नौकरी करते हैं। उन लोगों ने घर बनाए हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। अगर उन के घर टूट जाएंगे और उस के बाद आप कोर्ट जाएंगे तो उस का कोई फायदा नहीं है।

†Transliteration in Urdu Script.

महोदय, मैं आप का प्रोटेक्शन चाहता हूं कि गृह मंत्री जी कम-से-कम एक लफ्ज तो कह दें कि इस में हम मदद करेंगे।

श्री उपसभापति: गृह मंत्री जी, श्री जय प्रकाश जी ने जो मैटर उठाया है क्या आप उस बारे में कुछ रिएक्ट करना चाहते है?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, this matter is looked into by the Urban Development Ministry. We had a discussion, and we are trying to see that, without going against the orders of the court, as to how we can deal with this matter in a manner that it does not cause unnecessary inconvenience. That is all.

GOVERNMENT BILL

The Government of Union Territories and The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2006

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ. V. PATIL): Mr. Chairman, Sir, I beg to move.

> "That the Bill further to amend the government of Union Territories Act, 1963 and the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, be taken into consideration."

Sir, the second proviso to article 82 and the second proviso to article 170(3) of the Constitution provide that readjustment of constituencies after the delimitation exercise will take only from such date as the President may, by order, specify, and until such readjustment takes effect, any election to the House shall be held on the basis of territorial constituencies existing before such readjustment. In other words, the Delimitation Orders, issued by the Delimitation Commission under the Delimitation Act, 2002, in which the constituencies will be readjusted on the basis of 2001, Census, will take effect only from such date as the President may, by order, specify, and till such time, elections will be held on the basis of 1971 Census.

As far as Union Territory of Pondicherry and the National Capital Territory of Delhi are concerned, there is no such provision empowering the President of the Central Government to specify the date from which